Taking over of Dayal Singh College, New Delhi

4523. SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether there was a move to take over the Dayal Singh College at Lodhi Road, New Delhi;

(b) if so, the progress made in the process of take over;

(c) the hurdles coming in the way of take over; and

(d) when the college is expected to be taken over?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) to (d). After obtaining Government's approval, the University Grants Commission communicated their concurrence to the University of Delhi on November 19, 1975 to its taking over the Dayal Singh College, subject to the fulfilment of certain conditions.

According to the information received from the University of Delhi, the College land has not so far been transferred in the name of the University of Delhi and there is also reluctance on the part of the Governing Body of the College to transfer the Endowment Fund of the College to the University and hence University has not yet taken over the College.

देश में विस्थापित व्यक्तियों को प्लाटों/मकानों का आवंटन

4524. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े कितने व्यक्तियों को आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर, 1977 तक मौके पर ही मकानों/प्लाटों का कब्जा दे दिया गया था और ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जिन्हें केवल कागज पर ही मकानों अथवा प्लाटों का आवंटन किया गया था, लेकिन वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया था ;

(ख) समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को मकानों का आवंटन करने के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) समाज के इन पिछड़े वर्गों को मकानों का आवंटन करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है अथवा इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत 31-8-77 तक लगभग 73 लाख परिवारों को आवास स्थल आवंटित किए गए हैं। इनमें से 48 लाख से अधिक परिवारों को आवास स्थलों का वास्तविक कब्जा दिया जा चुका है ।

(ख) और (ग). समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को आवासीय सुविधायें प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाएं आरम्भ की गई हैं :—

(i) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना,

(ii) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम,

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमीहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना ।

2. इसके अतिरिक्त राज्य क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मकानों के निर्माण के लिए राज सहायता देने की एक योजना है ।

3. उपर्युक्त सभी आवास योजना राज्य क्षत्र में हैं तथा उनका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जा रहा है । आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता वित्त-मंत्रालय द्वारा "समेकित ऋण" तथा "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जा रही है जो किसी विशेष योजना अथवा विकास के शीर्ष से सम्बद्ध नहीं की जाती है । राज्य सरकारें आवास सहित विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए उन द्वारा निर्धारित आवयकताओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर निधियों का नियतन करने में स्वतंत्र हैं ।

4. हाल ही के वर्षों में आवास तथा नगर विकास निगम ने कम लागत के मकानों के निर्माण पर अधिक जोर डाला है । आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा अभी तक जो योजनायें स्वीकृत की गई हैं, उनके पूर्ण होने पर 1,93,240 मकान तथा 39,442 विकसित प्लाट उपलब्ध हो जाएंगे जिससे 2.30 लाख से अधिक परिवारों के लिए मकानों की व्यवस्था हो जाएगी और इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक परिवार निम्न आय वर्ग तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के हैं ।

State wise number of Displaced Persons in the Country

4525. SHRI CHHABIRAM ARGAL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the statewise number of displaced persons in the country at present; and

(b) the statewise number of families who have been provided with houses and those with housing plots as on the 21st November, 1977?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

सिंचाई के लिये मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

4526. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि योग्य भूमि के कुल क्षेत्रफल की तुलना में राज्यवार सिंचित भूमि की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है और कृषि योग्य भूमि के कुल क्षेत्रफल का केवल 8.1 प्रतिशत सिंचित भूमि है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुये अधिक भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता देगी ?